न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : श्री विवेक व्यास, आर.ए.एस

मुकदमा न0 राजस्व प्रकरण 169/2023

प्रार्थीगण :–

1. मुलाराम पुत्र आशाराम जाति कलबी, नि. थोब
2. सोमाराम पुत्र आशाराम जाति कलबी नि. थोब, तह0 कल्याणपुर, जिला बाडमेर ।

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. अणदाराम पुत्र वगताराम
2. जोगाराम पुत्र वगताराम
3. नाथाराम पुत्र वगताराम
4. बुधाराम पुत्र वगताराम
5. भीमाराम पुत्र वगताराम
6. अमकी देवी पत्नी वगताराम
7. किशन पुत्र कोलाराम
8. जेपाराम पुत्र कोलाराम
9. मथरा पत्नी कोलाराम
10. शंकर पुत्र कोलाराम
11. लछाराम पुत्र कानाराम
12. देवाराम पुत्र मादाराम
13. विशनाराम पुत्र देवाराम
14. हीराराम पुत्र देवाराम सभी जातियान कलबी, निवासीयान थोब, तह0 कल्याणपुर, जिला बाडमेर ।
15. राजस्थान राज्य द्वारा जरिये भूमिधारक तहसीलदार कल्याणपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.07.16 21:32:52 IST
Reason: SelfAttested

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू0–राजस्व अधिनियम तरमीम दुरस्ती बाबत

उपस्थित :–

1. श्री अचलाराम थोरी अधिवक्ता प्रार्थीगण ,
2. श्री अमराराम चौधरी विप्रार्थीगण

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

'आदेश'

दिनांक :– 28.06.2023

संक्षेप मे आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि सरहद मौजा थोब, पट्वार क्षेत्र थोब, तह. कल्याणुर मे खसरा संख्या मूल खसरा 737, 738, 739 जिसके नये खसरा संख्या 737 रकबा 1.6106 हैक्टेयर, 1364/737 रकबा 1.6106 हैक्टेयर, 1365/737 रकबा 1.6106 हैक्टेयर, 1366/737 रकबा 1.6106 हैक्टेयर, 1368/738 रकबा 0.0162 हैक्टेयर, 1369/738 रकबा 0.9146 हैक्टेयर, 1370/738 रकबा 0.9308 हैक्टेयर, 1371/738 रकबा 0.9308 हैक्टेयर, खसरा संख्या 738 रकबा 0.9308 हैक्टेयर, मूल खसरा संख्या 739 रकबा 1.3678 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1373/739 रकबा 1.3759 हैक्टेयर, ख.स. 1374/739 रकबा 1.3678 हैक्टेयर, 1375/739 रकबा 1.3759 हैक्टेयर मे की गई उक्त आराजी मे नक्शा लट्टा ट्रेस नक्शा में एकपक्षीय व एकांकी, प्रार्थीगण की बिना जानकारी की गई तरमीम दुरूस्त कर मौके के कब्जे अनुसार तरमीम को निरस्त करवाकर मौके पर काबिज अनुसार तथा माफिक खतौनी रकबा परिशिष्ट "अ" व "ब" के तरमीम दुरस्त की जाकर मूल खसरा के तमाम तरमीमी खसरान की तरमीम करवाने का निवेदन किया है ।

प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया । विप्रार्थीगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित।

विप्रार्थीगण ने दिनांक 28.06.20223 को आपसी राजीनामा का प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण के कब्जा काश्त अनुसार नहीं है बल्कि मौके पर कब्जा काश्त प्रार्थना पत्र के संलग्न परिशिष्ट "अ" व "ब" के अनुसार है इसलिए प्रकरण के सभी प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण नें लोक अदालत की भावना से यह तय किया कि उपरोक्त खसरान मूल खसरा 737, 738, 739 जिसके नये खसरा संख्या 737 रकबा 1.6106 हैक्टेयर, 1364/737 रकबा 1.6106 हैक्टेयर, 1365/737 रकबा 1.6106 हैक्टेयर, 1366/737 रकबा 1.6106 हैक्टेयर, 1368/738 रकबा 0.0162 हैक्टेयर, 1369/738 रकबा 0.9146 हैक्टेयर, 1370/738 रकबा 0.9308 [illegible] 71/738 रकबा 0.9308 हैक्टेयर, खसरा संख्या 738 रकबा 0.9308 हैक्टेयर, मूल [illegible] संख्या 739 रकबा 1.3678 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1373/739 रकबा 1.3759 हैक्टेयर, ख.स. 1374/739 रकबा 1.3678 हैक्टेयर, 1375/739 रकबा 1.3759 हैक्टेयर की वर्तमान लटठा ट्रेस मे दर्ज तरमीम को शुद्व कर माफिक कब्जा काश्त परिशिष्ट "अ" व "ब" अनुसार दुरूस्त करने का निवेदन किया गया है।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) * बालोतरा *

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.07.16 21:32:52 IST
Reason: SelfAttested

हमनें विद्वान अधिवक्ताओ की बहस को सुना और बहस पर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन समूची स्थिति पर विवेचन करने के उपरान्त, प्रार्थीगण व विप्राथीगण द्वारा प्रस्तुत माफिक राजीनामा,लोक भावना मध्यनजर रखते हुए प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना न्यायोचित प्रतीत होता है। क्योकि उपरोक्त सभी भूमिया निजी खातेदारान की खातेदारी भूमिया है जिससे राजहित प्रभावित नही हो रहे है । अलावा इसके रेकर्ड मे कब्जे के विपरीत तरमीम रहने से मौके पर पक्षकारन के मध्य विवाद की स्थिति रहती है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा भू.अ.निरीक्षक थोब को आदेशित किया जाता है, कि मौजा थोब, पटवार क्षेत्र थोब, तह. कल्याणपुर मे खसरा संख्यां मूल खसरा 737, 738, 739 जिसके नये खसरा संख्या 737 रकबा 1.6106 हैक्टेयर, 1364/737 रकबा 1.6106 हैक्टेयर, 1365/737 रकबा 1.6106 हैक्टेयर, 1366/737 रकबा 1.6106 हैक्टेयर, 1368/738 रकबा 0.0162 हैक्टेयर, 1369/738 रकबा 0.9146 हैक्टेयर, 1370/738 रकबा 0.9308 हैक्टेयर, 1371/738 रकबा 0.9308 हैक्टेयर, खसरा संख्या 738 रकबा 0.9308 हैक्टेयर, मूल खसरा संख्या 739 रकबा 1.3678 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1373/739 रकबा 1.3759 हैक्टेयर, ख.स. 1374/739 रकबा 1.3678 हैक्टेयर, 1375/739 रकबा 1.3759 हैक्टेयर मे माफिक राजीनामा से सम्बन्धित भूमियो के नक्शा लटठा ट्रेस मे की गयी तरमीम को माफिक कब्जा काश्त पक्षकारन खातेदारन की भूमी तरमीम दुरूस्ती की कार्यवाही करे। साथ ही यह स्पष्ट किया जाता है कि खातेदारान की खातेदारी हिस्से रकबा मे कोई परिवर्तन नहीं हो ।

खर्चा फरिकेन अपना-अपना वहन करें।

(विवेक व्यास)
उपखण्ड अधिकारी
(एसडीओ) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.07.16 21:32:52 IST
Reason: SelfAttested

आदेश आज दिनांक 28.06.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(एसडीओ) बालोतरा

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा